न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – भवानी सिंह, आर.ए.एस.

पुनः विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 28/2020

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. जेठमल पुत्र श्री हरीराम 2. बगदाराम पुत्र किसनाराम 3. सुगनबाई पत्नी किसनाराम 4. सुन्दरलाल पुत्र हरीराम जातियान कुम्हार निवासीगण ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

पुनः विलोकन याचिका अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 एवं धारा 114 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विरूद्ध आदेश दिनांक 27.02.2020 जो माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2019 प्रार्थीगण जेठमल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश के विरूद्ध

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से श्री ब्रिजेश पारिक, एडवोकेट।

अप्रार्थी 1 सरकारी पैरोकार।

–:: **निर्णय** ::– दिनांक

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.02.2020 को पारित करते समय पत्रावली पर आये साक्ष्य व सबूत को नजरअंदाज कर आदेश पारिरत किया गया जो निम्न है – पत्रावली पर यह साक्ष्य है कि राजस्थान सरकार ने दिनांक 10.08.2016 के द्वारा जो परिपत्र क्रमांक प3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर नियम 60 एच के अन्तर्गत सरकारी भूमि होने की स्थिति में चालु रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए रास्ता को राजस्व नक्शा में दर्शाया जाना चाहिए। इस तथ्य की ओर माननीय न्यायालय का ध्यान आदेश जैर पुनः विलोकन पारित करते समय दृष्टि चुक से रह गया और प्रार्थीगण को डी.एल.सी. दर से दोगुना धन राशि जमा कराने का आदेश पारित किया गया। जो काबिल पुनःविलोकन के है। पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा जो फर्द रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की उसमें स्पष्ट रूप से अंकित कर न्यायालय को बताया कि मौके पर रास्ता चालु है और जिसको प्रार्थीगण व अन्य खसरों के खातेदारान द्वारा उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है तथा प्रार्थी द्वारा सरकारी रास्ते की मांग की गई है तथा प्रार्थी ने हमेशा अपने मूल प्रार्थना पत्र में यही कहा है कि यदि उक्त खसरान के रास्ते में जितनी भूमि उपयोग में आएगी [illegible] ना [illegible] प्रार्थी सरकार को देने के लिए तैयार है, किन्तु डीएलसी के आधार पर प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की [illegible] कीमत प्रार्थी के बस में ही नही है तथा ना ही कभी माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगणों को मूल प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते [illegible] बुलाया गया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:06:34 IST
Reason: SelfAttested

न ही मुआवजे की राशि के भुगतान के बारे में प्रार्थीगणों को पूछा गया तथा जो रास्ता पूर्व में ही ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है, जो कि एक प्रकार से सार्वजनिक रास्ता है, उक्त रास्ते की मुआवजे की राशि प्रार्थीगणों पर थोपना एक प्रकार से अन्याय है। उक्त बात व साक्ष्य की अनदेखी माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश पारित करते हुए की गई है, जो काबिल पुनर्विलोकन के है। अप्रार्थी के अधिनस्त अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है रणसी गांव हरियाढाणा डामर सडक से राजकीय प्राथमिक विद्यालय सत सागर तक की रास्ता सार्वजनिक रूप से काम में आता है उक्त विद्यालय का खसरा सं. 575/48 है जो भी उक्त रास्ते के मध्य में है और पत्रावली पर यह तथ्य भी आया कि सत सागर से प्रार्थीगणों के खेत खसरा सं. 577तक रास्ते का उपभोग अन्य खसरान के खातेदारान, विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थी व आमजन द्वारा भी किया जा रहा है। उक्त तथ्य व साक्ष्य की अनदेखी करते हुए आदे”ा पारित किया गया जो काबिल पुनःविर्लोकन के है चुंकि रास्ता सार्वजनिक उपभोग में आता है इस कारण प्रार्थीगण द्वारा डीएल सी दर से दुगना यदि आदे”ा माफिक सरकारी खजाने में जमा करवाया गया है तो सरकार द्वारा उक्त रास्ते की भूमि का निजि अधिकार प्रार्थीगण को करने का मानने में भारी त्रुटी की है इस कारण भो आदे”ा पुनःविलोकन किये जाने काबिल है। आदे”ा पारित करते समय माननीय न्यायालय ने इस और ध्यान नहीं दिया और न ही प्राकृतिक न्याय की मं”ाा के अनुरूप यह आदे”ा पारित किया कि रास्ते की भूमि के बराबर प्रार्थीगण अपने खसरा की भूमि से राज्य सरकार को समर्पित कर रास्ता चाहते है या नही इस संबंध में कोई मं”ाा या राय प्रार्थीगण से नहीं लेकर आदे”ा पारित किया गया जो पुनःविर्लोकन किये जाने काबिल है प्रार्थीगण गरीब का”तकार है ओर आदे”ा में सार्वजनिक रास्ते की भूमि की जो कीमत अंकित की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से आदे”ा दिनांक 27.02.2020 काबिल पुनः विलोकन के है तथा उक्त पूरे वाद में माननीय न्यायालय द्वारा कभी भी प्रार्थीगणों को किसी भी सुनवाई के लिये नहीं बुलाया गया तथा ना ही उनके किसी भी प्रकार के लिये नहीं बुलाया गया तथा ना ही उनके किसी भी प्रकार से कोई भी बयान लिये गए, इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदे”ा एक प्रकार से एकपक्षीय कार्यवाही की समान है जो कि प्रार्थीगणों के प्राकृतिक सिद्धातों का हनन है। माननीय न्यायालय द्वारा आदे”ा पारित करते समय पत्रावली पर आये नक”ाा का समुचित अवलोकन नही किया यदि समुचित अवलोकन किया जाकर आदे”ा पारित किया जाता तो उक्त नक”ाा मं जो खसरा सं. 580 को नाडी के रूप में द”ार्ाया है अर्थात नाडी से चपते हुए जो रास्ता चल रहा है वह कदीम से सार्वजनिक रास्ता की श्रेणी में आता है।

अन्त में पुनःविलोकन याचिका मय शप”ा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुनः विलोकन याचिका स्वीकार कर आदे”ा 27.02.2020 को पुनःविलोकन किया जाकर उचित आदे”ा न्यायहित में प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:06:34 IST
Reason: SelfAttested

पार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] लिमिटे”ान एक्ट प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त मूल वाद का निस्तारण दिनांक 27.02.2020 को

आदे"ा पारित किया था। कोविड 19 के दौरान प्रार्थीगण द्वारा नियत समय पर उक्त आदे"ा का पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया जा सका। अतः प्रार्थना पत्र पे"ा कर निवेदन है कि कोविड 19 महामारी के कारण प्रार्थीगण द्वारा समय पर उक्त पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र के पे"ा करने में हुई देरी का डिले कॉडन करते हुए उक्त पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र की सुनवाई का आदे"ा प्रदान करावें।

धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त पत्रावली का निर्णय दिनांक 27.02.2020 को हुआ था लेकिन उसके प"चात् कोविड़ 19 के दौरान पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय में पे"ा करने में समय लगा इसलिए उक्त पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र को पे"ा करने में हुई देरी को डिले कॉडन किये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर डिले कॉडन किया जाता है।

पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता तथा सरकारी पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि पूर्व में निर्णित प्रार्थना पत्र संख्या 12/2019 निर्णय दिनांक 26.02.2020 पारित करते समय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गयी तथा प्रार्थीगण द्वारा यह इस्तदुआ की गयी थी कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि की मुआवजा फीस अदा करने को तैयार होने से तथा प्रार्थीगण को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रार्थीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ के अनुसार तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब, फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.09.2019 के अनुसार निर्णय पारित किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनः विलोकन याचिका अन्तर्गत आदे"ा 47 नियम 1 एवं धारा 114 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:06:34 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा